समाचार

लाकडाउन उल्लंघन पर लगा 11400 रू. जुर्माना

(लाकडाउन में खोली दुकान, बालाजी इलेक्ट्रानिक्स पर लगा 3000 रू. अर्थदण्ड)

कोरबा 24 सितम्बर 2020 –लाकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से निकलकर बाहर घूमने, मास्क न लगाने एवं लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 11400 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही इन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे घरों से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से भ्रमण न करें एवं लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इसके नियंत्रण व बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन द्वारा 23 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक 10 दिनों का लाकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हों, इस हेतु निगम का अमला लगातार सक्रिय रहकर लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा, जिन लोगों द्वारा लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया उन पर निगम अमले द्वारा आज 11400 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 6600 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 2000 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1100 रूपये व पं.रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 200 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 900 रूपये, सर्वमंगला जोन में 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। उपरोक्तानुसार लगाए गए अर्थदण्ड में अनाधिकृत रूप से दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क का न लगाने एवं अनावश्यक रूप से भ्रमण करने आदि के प्रकरण शामिल हैं। कोरबा एस.एस.प्लाजा व्यवसायिक काम्पलेक्स में बालाजी इलेक्ट्रानिक्स द्वारा लाकडाउन के दौरान दुकान खोलकर लाकडाउन के नियमों का

उल्लंघन किया गया था, जिस पर निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर 3000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया एवं दुकान को बंद कराया, वहीं कोसाबाड़ी जोनांतर्गत अवैध रूप से क्लीनिक संचालन किए जाने पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>**लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा निगम का अमला**</u>– नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल जोन सहित बालको, दर्री, बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन में निगम का अमला सतत रूप से सक्रिय रहकर आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा। जहां कहीं भी लाकडाउन का उल्लंघन हुआ तथा इक्का–दुक्का लोगों द्वारा दुकानें खोल ली गई थी, उन पर अर्थदण्ड लगाया एवं दुकानों को बंद कराया, वहीं बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व मेडिकल आदि की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भी निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई।

<u>**निगम क्षेत्र में 470 कोरोना पाजिटिव होम आईसोलेट**</u>– नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत कोविड–19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 470 मरीज होम आईसोलेट हैं, कोसाबाड़ी जोन में होम आईसोलेट मरीजों की संख्या अन्य जोनों की अपेक्षाकृत अधिक है, वहीं आईसोलेशन में रहने वाले 08 मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया तथा 07 मरीजों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 44, टी.पी.नगर जोन में 40, रविशंकर शुक्ल जोन में 39, कोसाबाड़ी जोन में 164, बालको जोन में 81, दर्री जोन में 60, सर्वमंगला जोन में 20, बांकीमोंगरा जोन में 22 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड–19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।